# बिहार सरकार
## खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

### आदेश

श्री राजीव कुमार, आपूर्ति निरीक्षक के सरायरंजन, समस्तीपुर में पदस्थापन के दौरान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा इनके विरूद्ध 50,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने तथा निगरानी थाना काण्ड संख्या–25/2022 दिनांक–31.05.2022, धारा–7(a)(c)/12 भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) दर्ज किये जाने संबंधी प्राप्त सूचना के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2740 दिनांक–16.06.2022 द्वारा निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया। उक्त के क्रम में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में प्रतिवेदित आरोप की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–3895 दिनांक–31.08.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में इनके विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–505 दिनांक–25.01.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत बर्खास्तगी का दण्ड संसूचित किया गया। तद्‌लोक में श्री कुमार द्वारा उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध माननीय मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। माननीय मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा सुनवाई के क्रम में दिनांक–25.07.2025 को पारित आदेश के माध्यम से श्री कुमार के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश ज्ञापांक–505 दिनांक–25.01.2024 को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही, अभिलेख पुनर्विचार हेतु Remand करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है।

2. चूँकि माननीय मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा उक्त पारित आदेश के माध्यम से श्री कुमार के विरूद्ध बर्खास्तगी हेतु निर्गत विभागीय दण्डादेश ज्ञापांक–505 दिनांक–25.01.2024 को निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में श्री कुमार को सेवा में पुनःबहाल करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(4) के आलोक में बर्खास्तगी के मूल आदेश की तिथि (25.01.2024) से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का कार्यालय निर्धारित रहेगा।

4. निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–10 में वर्णित प्रावधानों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. श्री कुमार को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करने के निमित पृथक रूप से ज्ञाप निर्गत किया जा रहा है।

आदेश पर प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–17/2022(खंड)– 2190 खाद्य, पटना/दिनांक– 01.09.2025
प्रतिलिपि–प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर/प्रशाखा पदा0–03/आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री राजीव कुमार, निलंबित आपूर्ति निरीक्षक (मुख्यालय–उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का कार्यालय), **पत्राचार पता**–पिता–श्री रामदेव सिंह, ग्राम+पो0–महेन्द्रपुर, थाना–नया गाँव, भाया–मिर्जापुर बनद्वार, जिला–बेगूसराय (बिहार), पिन–851129, मोबाईल सं0–7004344651 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।